Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 15, Issue No. 11, November-2018, ISSN 2230-7540

हरियाणा ग्रामीण विकास नीति का आधार ग्राम पंचायतें एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण

Ajit[1]* Dr. Suman Lata[2]

[1] Research Scholar, Public Admistration Department, Maharshi Dayanand University, Rohtak

[2] Assistant Professor, Public Admistration Department, Maharshi Dayanand University, Rohtak

शोध-आलेख सार: *ग्रामीण विकास का अभिप्राय गांवों के संपूर्ण विकास से होता है। सभी ग्रामवासियों को शिक्षा, कृषि,सफाई, आवास, स्वास्थ्य, रोजगार के पर्याप्त साधन एवं अवसर उपलब्ध कराए जाएं तथा शैक्षिक व आर्थिक अवसरों के साथ-साथ सामाजिक न्याय को भी समाज के विकास का अभिन्न हिस्सा माना जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांवों का विकास तो हुआ, लेकिन विकास की रफ्तार धीमी रही है। ग्रामीण स्तर पर विकास का आधार ग्राम पंचायतों को माना गया है। अतः पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली को ज्यादा सक्षम, पारदर्शी, शासन का आधार और तीव्र बनाने के लिए यह आवश्यक है कि गांव के स्तर पर आर्थिक कार्यकलापों से जुड़ा कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि संसाधन, कृषि सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूली शिक्षा, स्वच्छता, जलापूर्ति, कचरा प्रबंधन, गलियां और नालियां, स्ट्रीट लाइट, गांवो के बीच सड़क संपर्क, सार्वजनिक परिवहन, एलपीजी गैस कनेक्शन, नागरिक सेवा केंद्र-जनकेंद्रित सेवाओं, ई-ग्राम कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रीसिटी व्यवस्था आदि सभी ग्रामीण आधारभुत आवश्यकताओं पर नीति निर्माण का कार्य पंचायतों के माध्यम से हो। जिससे गाँव में 'स्मार्ट स्कूल' हों, सबको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, पक्के घर हों, सभी के लिए आधार कार्ड, ई-गवर्नेंसइस एंव गांव में हर परिवार को गरीबी से बाहर निकालने पर मुख्य जोर हो। हर घर में शौचालय होगा, स्वच्छता होगी। बिजली, पानी, सड़क और ब्राडबैंड हो। नशाखोरी और महिलाओं के साथ भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन का प्रयास किया जाएगा और प्रदेश के सभी गांव आदर्श गांव होंगे। प्रस्तुत शौध पत्र द्वितीयक स्त्रोत पर आधारित है। जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर नीति निर्माण में ग्राम पंचायत के महत्व को इंगित करना और विद्यार्थी एंव शोद्यार्थीयों को जागरूक करना व शोध के लिए प्रेरित करना है। क्योंकि हर गांव, जिले एंव राज्य की अलग-अलग समस्याएं एंव क्षेत्रीय भिन्नताएं होती है।*

विशेष शब्दः *ग्राम पंचायत, नीति निर्माण, विकास*

----------X----------

भूमिकाः

भारत गांवो का देश है। यह सब हम पुस्तकों ग्रन्थों, पत्र-पत्रिकाओं के लेखों, कथा-कहानियों एंव समारोहों आदि में सुनते आए हैं और देखते भी हैं कि आज भी देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में निवास करता है।[1] भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हर दिन एक नई खोज हो रही है। नई तकनीक के द्वारा ग्रामीण भारत तरक्की की राहपर अग्रसर है। वहीं ग्रामीणों की नई खोज को दिशा भी मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का आधार ग्राम पंचायतों को माना गया है। जिसके लिए ग्राम सभाओं और पंचायतों को एक जिम्मेदार भूमिका के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। वर्तमान समय में गाँव शहरों से मुकाबला करने को तैयार है, क्योंकि गांव में सस्ता श्रम बल, सस्ता परिवहन व्यय और सस्ते संसाधन उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। इस संभावना के साथ उद्योग जगत गाँव की और आकर्षित हो रहे है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की महत्ता और भी बढ़ जाती है। हरियाणा राज्य में चार वर्षों (2015-2018) में ग्रामीण स्तर पर बहुत बड़े बदलाव आए हैं। जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के महत्व को बढ़ाया और हर कार्यों में सक्षम बनाया है। ग्राम पंचायतों को गांव के स्तर पर नीति निर्माण से संबंधी निर्णय लेने में अगर राज्य सरकार के द्वारा अधिकार दिया जाए तो वे इसे बखूबी निभा सकती हैं। अतः सरकार के द्वारा यदि यह कदम पूरी ईमानदारी के साथ जमीन पर उतारा जा सका तो यह भारत के गांवों का ढांचागत स्तर बदलने में मददगार होगा। इस निर्णय से आजादी के बाद ग्रामीणों को स्वयं

www.ignited.in

निर्णय लेने की आजादी तथा खुद के लिए निर्णयों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी के साथ-साथ उनकी जवाबदेही भी होगी।[2] शासन की सफलता तभी मानी जाती है, जब नीतियों की पहुंच आखिरी व्यक्ति तक हो। प्रक्रिया और वितरण शासन के दो अहम पहलू हैं। इन दोनों पहलुओं में सफलता सुनिश्चित होने पर ही किसी योजना को पूर्णतः सफल माना जा सकता है। जब योजना बनाने में ही आखिरी व्यक्ति की भागीदारी होगी तो हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच होगी, जो ग्राम पंचायतों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काफी है।[3] राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी से पहले जन-जन की सत्ता का सपना देखा था। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था के जरिए उनके इस स्वप्न को साकार करने का प्रयास किया। वे पंचायती राज को 'हर चैपाल हर चबूतरे' अर्थात हर व्यक्ति तक ले जाना चाहते थे। आज अगर पंचायतों को नीति निर्माण का अधिकार दिया जाता है तो उनका ये स्वप्न पंचायतों के नीति निर्माण से साकार रूप ले लेगा।[4]

नीति निर्माण पंचायतों के माध्यम सेः क्यों

(1) ग्रामीण स्तरीय सामाजिक आडिट समिति का गठनः

हरियाणा सरकार के द्वारा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामीण स्तर पर गड़बड़ी करने वाले पंच व सरपंचों को रोकने के लिए ग्रामीण स्तरीय सामाजिक आडिट समिति गठित करने की व्यवस्था करेगी जो ग्रामीण विकास कार्यों पर नजर रखेगी। पंचायत एंव विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने अपनी मंजुरी दे दी है। कहा गया है कि इस समिति के गठन से विकास के सामाजिक कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और सभी गतिविधियों में ग्रामीणों की भागीदारी होगी। इस समिति में दस गैर सरकारी सदस्य शामिल करने की व्यवस्था होगी। समिति में पूर्व सैनिक, सेवानिवृत शिक्षक, रिटायर्ड अभियंता, गांव के उच्च शिक्षित व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता, उपायुक्त द्वारा मनोनीत दो सदस्य (महिला और अनुसूचित जाति), तरूण योजना का प्रमुख स्वयंसेवक और इस योजना से संबंधित दो लाभार्थी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त कम से कम तीन महिला सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। हरियाणा राज्य ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा की इसको मंजूरी मिल गई है और इसे जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा।[5] इससे ग्राम पंचायतें नियंत्रित एंव भ्रष्टाचार से मुक्त होंगी। अतः जब ग्रामीण स्तर के व्यक्ति ही पंचायत के कार्यों पर निगरानी रखेगें तो यह क्यों नहीं हो सकता कि पंचायतों के द्वारा ही नीति निर्माण का कार्य अपने स्तर पर हो।

(2) क्षेत्रीय भिन्नता:

नीति निर्माण का कार्य पंचायतों के द्वारा अपने क्षेत्र की जरूरतों व समस्याओं को ध्यान में रखकर गांव से आरंभ किया जा सकता है। हम मानते हैं कि नीति निर्माण का कार्य संविधान के अनुसार विधान पालिका का है परंतु यह आवश्यक नहीं कि विधानपालिका के पास वास्तविक समस्याओं व जन आवश्यकताओं के विवरण हो। नीति नियोजन में सभी क्षेत्रों के लिए एक नीति सक्षम नहीं हो सकती है। क्योकि गांवों में जनसंख्या, जाति, धर्म, क्षेत्र और समस्याओं में भिन्नता पाई जाती है। अतः ग्रामीण विकास तभी संभव है जब ग्रामीण संस्थाओं को सहभागी बनाया जाए अर्थात नीति निर्माण का कार्य गांव के स्तर पर पंचायतों के द्वारा किया जाना जाए।[6]

(3) शिक्षित पंचायतें:

हरियाणा सरकार के द्वारा अधिसुचना के अनुसार चुनाव 2015 में होने थे जिससे 7 सितंबर 2015 को सर्वोच्य न्यायायल में चुनौती दी गई।[7] सर्वोच्य न्यायालय के फैसले के बाद हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा पंचायती राज सामान्य चुनाव जनवरी 10, 17 और 24 को तीन चरणों में संपन्न करवाए गए है। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा पंचायत चुनावों में शैक्षित योग्यता की अनिवार्यता को सही ठहराकर न्यायपालिका की दूरदृष्टिता का प्रदर्शन किया है। जिसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव केवल वे व्यक्ति लड़ सकते है जो शिक्षित, बैंक लोन, बिजली के बिलऔर 10 साल व उससे अधिक की सजा के प्रावधान वाले मामलों में चार्जशीट न हो। अतः हरियाणा पंचायती राज चुनाव 2016 में पंचायतें शिक्षित और साफ-सुथरी छवी वाली ईमानदार पंचायतें है। एक शिक्षित व ईमानदार जनप्रतिनिधि ही सकारात्मक रूप से ग्रामीण विकास नीति निर्माण में वास्तविक योगदान दे सकता है।

(4) भाईचारे का प्रतीक पंचायतें

हरियाणा पंचायती राज चुनाव 2016 में निर्विरोध निर्वाचित पंचायत सदस्यों की बाहार सी आ गई है। इस पंचायती राज चुनाव में कुल निर्वाचित पंच संख्या 60438 है जिसमें से 38855 (64.03) पंच निर्विरोध चुने गए है। सरपंच पद की कुल संख्या 6186 में से 274 (4.42) सरपंच निर्विरोध चुने गए है जिनमें 147 (2.37) पदों पर पुरूष व 127 (2.05) पदों पर महिला निर्विरोध चुनी गई। 227 ग्राम पंचायतें पूर्ण निर्विरोध (सरपंचपंच) निर्वाचित हुई हैं। अतः इस चुनाव में 2010 पंचायती राज चुनाव की तुलना में निर्विरोध निर्वाचित

www.ignited.in

पंचायत सदस्यों की संख्या अधिक है। अतः यहाँ पूरे गांव में पंचायत के द्वारा नीति निर्माण में सहमति बनना सबसे आसान है।[8] जब ग्रामीण भाईचारा आपसी सहयोग से आकडे संकलन में सहयोग करेगा तभी ग्रामीण विकास नीति को सुचारू रूप से निर्मित किया जा सकता है।

(5) प्रशिक्षित पंचायतें

देश-प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए पढ़ी-लिखी पंचायतों के बाद प्रदेश में पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए हरियाणा के ग्रामीण विकास एंव पंचायत मंत्री ने पंचायत से जुड़े प्रतिनिधियों के लिए 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया और पंचायत प्रतिनिधियों को 9-स का फार्मूला दिया अर्थात पंचायतों को सक्षम, समर्थ, सम्मानित, सुंदर, शिक्षित, सहभागी, स्वच्छ, सेवार्थ व सशक्त होना चाहिए।[9] इस कोर्स में आने वाले खर्च को प्रदेश सरकार के द्वारा वहन किया गया। कोर्स में 75 फीसदी से ज्यादा अंक वालों को ए ग्रेड देने की व्यवस्था की गई और 40 प्रतिशत से कम अंक वाले प्रतिनिधियों को कोर्स दोबारा अपने खर्च पर इसे पूर्ण करने की व्यवस्था की। प्रतिनिधियों को शिक्षित करने के लिए विश्वविद्यालयों के लोक प्रशासन विभाग को चुना गया।[10] इसके लिए पांच विश्वविद्यालयों को चुना गया। इस कोर्स की शुरूआत सबसे पहले 1 मई 2017 को महर्षि दयान्नद विश्वविद्यालय, रोहतक के लोक प्रशासन विभाग में की गई। इस कोर्स में पंचायती राज, आचर-व्यवहार के पहलु, सुशासन, योजना व प्रबंधन से संबंधी आदि विषयों को शामिल किया गया। इस कोर्स में एक पंचायत प्रतिनिधि पर लगभग 25000 रू खर्च किए गए।[11] अतः प्रशिक्षित पंचायतें नीति निर्माण में सक्षम पंचायतें हैं। नीति निर्माण का कार्य ग्राम स्तर पर पंचायतों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

नीति निर्माण पंचायतों के माध्यम सेः कैसे

नीति निर्माण का कार्य पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र की जरूरतों व समस्याओं को ध्यान में रखकर गांव से प्रारंभ किया जा सकता है। ग्राम सभा की बैठकों के माध्यम से गांव की समस्याओं व जरूरतों से सबंधित आंकड़े संकलित करके नीति निर्माण का कार्य किया जा सकता है। यह कार्य ग्राम सचिवालय के द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए। इन ग्राम नीतियों को पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों की बैठकों के माध्यम से विधानपालिका को अवगत करवाया जा सकता है क्योंकि पंचायत समिति व जिला परिषद के पदेन सदस्य विधायक व संसद सदस्य होते है परंतु आमतौर पर यह सुना जाता है कि विधायक व संसद सदस्य इनकी बैठकों में भाग नहीं लेते है। विधायकों एंव संसद सदस्यों को जन समस्याओं व क्षेत्रीय जरूरतों को ध्यान में रखकर बैठकों में भाग लेना चाहिए। जिससे उन्हें उन क्षेत्रों की समस्याओं का पता लगे और उन समस्याओं को विधान सभा व संसद में उठा सकें तथा गांवों के विकास में सहयोग कर सकें।[12]

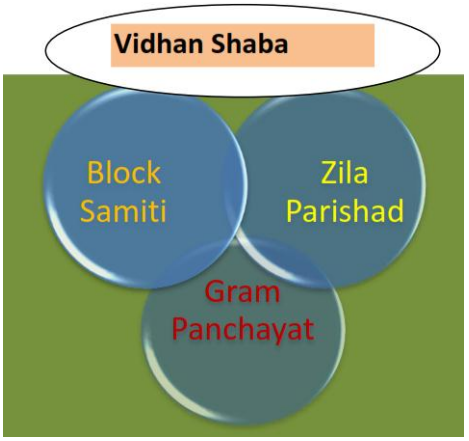

आकृतिः 1

पंचायतों के माध्यम नीति निर्माण में सकारात्मक बदलाव: कैसे

(i) राजनीतिक बदलावः

भारत में ग्रामीण विकास नीतियों का निर्माण केंद्र एंव राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, परंतु इनका कुशलता से क्रियान्वयन नहीं हो पाता क्योंकि इनमें राजनैतिक एंव प्रशासनिक हस्तेक्षप पाया जाता है। जब पंचायतों के माध्यम से नीति निर्माण होगा तो राजनैतिक हस्तक्षेप में कमी आएगी और गांव का हर व्यक्ति राजनैतिक गतिविधियों से जागरूक होगा। गांव से राजनीति के क्षेत्र में एक नई प्रतिभा एवं नए विचारों का आगमन होगा। कहा भी जाता है कि नेता बनते नहीं है बनाए जाते है। जो लोकतंत्र व्यवस्था का एक आधार है।[13] उदाहरणतः चैधरी छोटूराम, चैधरी भूपेंद्र हुड्डा आदि।

आकृतिः 2

www.ignited.in

(ii) सामाजिक बदलावः

ग्रामीण विकास एक ऐसी रणनीति है जो भवन, जल मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण गैर-पारम्परिक उर्जा स्त्रोत, गरीबी उन्मुलन कार्यक्रम, शिक्षा, प्रौढ़ व अविधिवत शिक्षा-प्रौढ़ साक्षरता को बढ़ावा देना, ग्रामीण पुस्तकालय, समाज कल्याण, अपंग व मंद बुद्धि की भलाई सहित, कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों का कल्याण के साथ सामाजिक जीवन में सुधार करती है। गांव में जब ग्राम पंचायत के द्वारा नीति निर्माण का कार्य होगा तो इसमें पुरा गांव शामिल होगा और इससे जातिवाद, धर्म व एक दुसरे मेंजो विरोधाभास होता है वह समाप्त होगा। गांव का प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करेगा कि गांव के विकास में उसकी भागीदारी है और इससे हर गांव आदर्श गांव बनने की राह पर होगा। गांव से जो लोग शहरों की और पलायन कर रहे है वे गांव में रहना ही पसंद करेगें जिससेगांव में एक एकीकृत समाज का निर्माण होगा।[14]

(iii) आर्थिक बदलावः

जब ग्राम पंचायतों के द्वारा नीति निर्माण का कार्य किया जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक क्षेत्र में सदृढ़ता आएगी और ग्राम पंचायत के द्वारा लिया गया निर्णय तथा की गई कार्यवाही अगले वर्ष में पंचायत की रिपोर्ट का भाग होगी। पंचायत क्षेत्र विकास के लिए वितीय शक्तियां भी प्राप्त हों, वार्षिक बजट गांव के विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए और उसको ग्राम सभा की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करना आपसी भाईचारे का प्रतीक होगा। ग्राम पंचायतों के द्वारा गांव ही में रोजगार के सृजन के प्रयास किए जाऐं। ग्राम पंचायत के द्वारा कृषि और बागवानी को बढ़ावा दिया जाए और नई-नई किस्म की फसलों के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए, व बंजर भूमि के विकास एंव उसके ररव-ररवाव संबधी कार्यों पर सम्पूर्ण गांव का सहयोग हो। सिचांई व्यवस्था के लिए नल कुपों की व्यवस्था की जाए। ग्राम पंचायत को नीति निर्माण से और अधिकार प्राप्त हों तथा गांव का प्रत्येक नागरिक गांव के विकास में बढ़चढ़ कर हिस्सा ले इससे आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे।[15]

(iv) सांस्कृतिक बदलावः

ग्राम स्तर पर यदि नीति निर्माण का कार्य पंयायतों के माध्यम से होता है तो पारंपरिक संस्कति में जो जातिवाद, धर्म भेदभाव, रीति-रिवाज, संकीर्ण मानसिकता व अनके अवधारणाएँ जो प्रचलित है उन सभी में परिर्वतन होगा क्योंकि गांव के विकास में पूरे गांव की भागीदारी होगी उसमें जात-पात आड़े नहीं आएगी। गाँव के विकास में सभी को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। गांव आधुनिकीकरण की और अग्रसर होंगे।

निष्कर्षः

अतः ग्राम पंचायत के माध्यम से नीति निर्माण के बाद जब वे विकास योजनाएं पूर्ण होंगी तोप्रत्येक पंचायत में योजना, बजट, सामाजिक-आर्थिक लेखा-जोखा, संवाद, प्रमाणपत्र जारी करने से लेकर गांव-स्तर की सभी नागरिक सेवाओं का रिकॉर्डऑनलाइन होगा तो लोग अपनी समस्याओं को लेकर परिचर्चा कर सकेंगे। गाँव के लोगों लिए यह देखना बड़ा आसान होगा कि जो काम कागज पर हुआ है, वह वास्तव में हुआ है या नहीं। इसकी जांच करके वे फोटो प्रमाण सहित उसे निर्णायक पदाधिकारी, मीडिया तथा अन्य सभी की निगाह में ला सकगें। कार्य में देरी होने पर उसे भी सार्वजनिक करना आसान होगा। राशन डिपो से लेकर पंचायत की सभी गतिविधियों तक का हिसाब रखा जा सकेगा। इससे गलतियां छिपाना मुश्किल होता जाएगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए ग्राम पंचायतों से सूचना प्राप्त करना आसान, सस्ता और भ्रष्टाचारमुक्त होगा। गांव का हर व्यक्ति गांव के विकास का भागीदार होगा और प्रदेश का प्रत्येक गांव आदर्श गांव होगा। हर गांव की प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सुरेन्द्र कटारिया, गुञजन वैद, भारत में ग्रामीण विकास रणनीतियाँ एंव चुनौतियाँ, नई दिल्ली: मलिक एण्ड कम्पनी, 2014, पृ. 10
2. कुरूक्षेत्र ग्रामीण विकास को समर्पित, सितंबर, 2016, वर्ष 62, अंक 11, पृ. 11
3. योजना, जून, 2016,वर्ष 60, अंक 6, पृ. 25
4. ग्रामीण विकास की धुरी है पंचायती राज, डॉ. एस. के. मिश्रापृ 10,11
5. दैनिक जागरण, 21,अक्टूबर 2018, पृ.2
6. राजेश कुण्डू, नीति निर्माण हो पंचायतों के माध्यम से,पंचायती राज अपडेट, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल सांइसेज,जनवरी, 2018, वर्ष 11, अंक 1, पृ. 5
7. हरियाणा सरकार की अधिसुचना S.O.149/H.A.11/1994/S.211/2015

www.ignited.in

8. रिपोर्ट ऑन जनरल इलेक्शन टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूट इन हरियाणा 2016, (राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा)

9. दैनिक भास्कर, 2 मई, 2017, पृ. 3

10. दैनिक भास्कर, 24 जनवरी, 2017, पृ. 3

11. अमर उजाला, रोहतक शहर, 1 मई, 2017, पृ. 1

12. राजेश कुण्डू, नीति निर्माण हो पंचायतों के माध्यम से, पंचायती राज अपडेट,नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल सांइसेज, अंक-1, वर्ष-11, अगस्त 2018, पृ. 5

13. राजेश कुण्डू, सुशासन के लिए पंचायतों को उनके अधिकारों व शक्तियों के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता, पंचायती राज अपडेट,नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल सांइसेज, अंक-8, वर्ष-9, अगस्त 2016, पृ. 6

14. सवलिया बिहारी वर्मा, पंचायती राज, स्वयंसेवी संगठन एंव ग्रामीण विकास, जयपुर: आविष्कार पब्लिशर्स, 2003, पृ. 70,71

15. सुरेन्द्र कटारिया, गुत्रजन वैद, भारत में ग्रामीण विकास रणनीतियाँ एंव चुनौतियाँ, नई दिल्ली: मलिक एण्ड कम्पनी, 2014, पृ. 8-11

Corresponding Author

Ajit*

Research Scholar, Public Admistration Department, Maharshi Dayanand University, Rohtak

ajitsharmamdu@gmail.com